

सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध

पेरिस के लिये:

केंद्रीय चड़ियाघर प्राधिकरण

मेन्स के लिये:

वन्यजीवों के समक्ष अभिन्न खतरे, भारत में वन्यजीव संरक्षण के प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पेरिस शहर ने सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

प्रमुख बटु



- यद्यपि पेरिस शहर ने सर्कस में जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन फ्रांस अभी भी जंगली जानवरों के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू करने पर विचार कर रहा है।
- वर्ष 2020 से लागू होने वाले इन प्रस्तावों के अनुसार, यदि किसी सर्कस को जंगली जानवरों का उपयोग करते हुए पाया गया तो उनके संचालन परमिट को रद्द कर दिया जाएगा।

क्यों लगाया गया है प्रतिबंध?

- जानवरों के अधिकारों, उनके साथ क्रूरता और खराब परिस्थितियों में रहने और प्रदर्शन करने के लिये मजबूर किये जाने से संबंधित मुद्दे लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं।
- हालाँकि विश्वभर में प्रदर्शन करने के लिये मजबूर किये जाने वाले जंगली जानवरों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है (विशेष रूप से वगित दो दशकों के दौरान) लेकिन अब भी कुछ देशों के सर्कस में जंगली जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है।

सर्कस में प्रयोग होने वाले जानवरों की स्थिति

- सर्कस में प्रदर्शन करने वाले अधिकाँश जानवरों को पजिरे में रखा जाता है। जानवरों के आकार की तुलना में ये पजिरे बहुत ही छोटे और गंदे होते हैं।
- सर्कस में जानवरों के साथ होने वाला दुरव्यवहार और शारीरिक शोषण सामान्य बात है, विशेषकर उन परस्थितियों में जब इन्हें सर्कस में प्रदर्शन करने के लिये मजबूर किया जाता है। इन जानवरों द्वारा किये जाने वाले अधिकाँश प्रदर्शन अस्वाभाविक होते हैं। उदाहरण के लिये हाथियों को लंबे समय तक केवल एक पैर पर खड़े रहने के लिये मजबूर करना।
- सर्कस में बजने वाले तेज़ संगीत और दर्शकों के शोर के कारण भी जानवरों को परेशानी होती है।
- कई वर्षों तक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव में कार्य करने के कारण ये दीर्घावधिक शारीरिक तथा मानसिक विकारों से ग्रस्त हो सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- पेरिस ने दिसंबर 2017 में एक योजना की घोषणा की थी ताकि फ्रांस की राजधानी में होने वाले सर्कसों में जंगली जानवरों के उपयोग को प्रतर्बिंधित किया जा सके।
- AFP (Agence France-Presse) की रपॉर्ट के अनुसार, फ्रांस की 65 नगरपालिकाओं ने पहले ही जंगली जानवरों को सर्कस से प्रतर्बिंधित कर दिया है, जबकि फ्रांस राष्ट्रव्यापी प्रतर्बिंध को लागू करने पर वचिार कर रहा है।

कैद में जंगली जानवरों पर फ्रांस का रुख

- सर्कस के जानवरों पर राष्ट्रव्यापी प्रतर्बिंध पर वचिार करने की बावजूद फ्रांसीसी सरकार ने मई 2017 में डॉल्फिन और व्हेल के कैप्टिव वंशवृद्धि (Captive Breeding) पर प्रतर्बिंध लगा दिया था।
- AFP के अनुसार, लगभग दो-तर्हई फ्रांसीसी लोग सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर आपत्त कर रहे हैं।

अन्य देशों में जंगली जानवरों पर प्रतर्बिंध

- एनमिल डफिंडर्स इंटरनेशनल (Animal Defenders International- ADI) नामक पशु अधिकार समूह जो मानव मनोरंजन के लिये जानवरों के उपयोग की नगिरानी करता है, के आँकड़ों के अनुसार, अधिकाँश यूरोपीय देशों ने सर्कस में जंगली जानवरों पर राष्ट्रव्यापी प्रतर्बिंध लगाया है।
- ADI के अनुसार, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बर्टिन, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ऐसे राष्ट्र हैं, जहाँ वर्तमान में केवल स्थानीय प्रतर्बिंध प्रभावित हैं और जंगली जानवरों उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतर्बिंध का अभाव है।

भारत का रुख

- भारत में दशकों से सर्कस में जंगली जानवरों का उपयोग किया जाता है, लेकिन नवंबर 2018 में, केंद्र सरकार ने मसौदा नयिम जारी किये, जसिमें सर्कस में सभी जानवरों के उपयोग पर प्रतर्बिंध लगाया दिया गया था।
- पशुओं के प्रतर्कूरता का नविरण अधनियिम, 1960 (1960 का अधनियिम संख्याक 59) [Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960] की धारा 38 के तहत, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने 'पशु प्रदर्शन (पंजीकरण) संशोधन नयिम, 2018' [Performing Animals (Registration) (Amendment) Rules, 2018] प्रस्तावित किये और "पशुओं के प्रदर्शन तथा नर्दषिट प्रदर्शन के लिये जानवरों के प्रशकषण को नषिध" घोषित किये।
- मसौदा नयिमों के तहत, "कर्सि भी सर्कस या गतशील/चलनशील मनोरंजन सुवधि में प्रदर्शन के लिये जानवरों का उपयोग नहीं किये जाएगा।"
- इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे सर्कस जनिकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है, को बना अनुमति प्राप्त किये या केंद्रीय चड्डियाघर प्राधकिरण (Central Zoo Authority) के आदेशों में संशोधन के बना अपने प्रदर्शन कार्यक्रमों में जंगली जानवरों के उपयोग की अनुमति नहीं है। ध्यातव्य है कि केंद्रीय चड्डियाघर प्राधकिरण एक राष्ट्रीय सरकारी नकिय है जो भारत में सर्कस और मनोरंजन और चड्डियाघर में इस्तेमाल होने वाले जानवरों की स्थतितियों की देखरेख करता है।

“भारत में सर्कस खेल एवं युवा मामलों के वभिग की परधिमें आता है।”

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस